तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/7/20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। पेशकार साहकार उपस्थित है। बहस उभयपक्ष सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। तथा प्रा० पत्र स्वीकार करने के कथन किये। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी 1 का कथन है कि अप्रार्थी नं० 2 व 3 के जवाब व मौका रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है, प्रार्थी की भूमि पर कॉलोनी काटना बता कर द्वारा अप्रार्थी की भूमि पर कॉलोनी काटना बता कर गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है अतः प्रा० पत्र खारिज फरमाया जावे। पेशकार साहकार द्वारा जवाब / रिपोर्ट के तथ्य दोहराये कि मौके पर भूमि खेती के काम ही आ रही है। बाद बहस हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त अवलोकन किया। जवाब / रिपोर्ट पेशकार साहकार प्रा० पत्र U/S-177. R.T.Act की पत्रावली में शामिल है। हाल रिकार्ड ग्राम गोवर्धनपुरा की भूमि खसरा नं. 137 रकबा 1.07 है. महेशचंद पुत्र रामगोपाल के नाम पर दर्ज है। रिपोर्ट पेशकार साहकार के अनुसार ख.नं. 137 की भूमि पर खेती की जा रही है और मौके पर उक्त भूमि पर कॉलोनी काटी हुई नहीं है। मौके के फोटो अनुसार भी मौके पर भूमि को गैर कृषिक कार्य में लिया जाना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा भूमि को गैर कृषिक कार्य में नहीं लिया जा रहा। भूमि पर खेती की जा रही है इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थी के कृत्य से कोई स्पष्ट हानि नहीं होती	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... (जिला ...)

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसके विपरीत यदि प्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थी को अस्थाई आदेश पाबंद किया जाता है, तो इससे अप्रार्थी को क्षति होना संभाव्य है।	
	सुविधा का संतुलन प्रार्थी के बनिस्पत अप्रार्थी नं० 1 के पक्ष में पाया जाता है।	
	मौके पर ही जब प्रक० वर्णित भूमि पर कोई भी कृषिक कार्य ही नहीं किया जा रहा है, तो इस प्रकार मात्र बयान के आधार पर प्रस्तुत प्रा० पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।	
	अतः उपरोक्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर प्रा० पत्र U/S. 177 R.T. Act के साथ मि० प्र० 138/2019 के साथ संलग्न हो।	
	निर्णय आज दिनांक 20/7/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।	
	(हस्ताक्षर) 20/7/20 (उपखण्ड अधिकारी) रामगंज	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला कोटा (राज०)